कार्यवाही विवरण

मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम–घुटकू, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 14/09/2016 को ग्राम–घुटकू स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से लगे मैदान में, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम–घुटकू, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 13.08.2016 एवं द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली दिनांक 13.08.2016 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 14.09.2016 दिन बुधवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता में ग्राम–घुटकू स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से लगे मैदान में, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर–बिलासपुर, जिला पंचायत कार्यालय–बिलासपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र–बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, कार्यालय ग्राम पंचायत–घुटकू, जोंकी, उसलापुर, लोखंडी, पोंडी (भरनी), परसदा, कार्यालय नगर पंचायत सकरी, जिला–बिलासपुर, डायरेक्टर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 14.09.2016 दिन बुधवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता में ग्राम–घुटकू स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से लगे मैदान में, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री के. डी. कुंजाम, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री श्याम कार्तिक सोनी, पूर्व जनपद सदस्य, ग्राम–घुटकू :–** क्या ग्रामवासियों द्वारा कोई आपत्ति की गई है ? पर्यावरण का नुकसान न हो। प्रदूषण न फैले, ग्राम के नागरिकों पर दुष्प्रभाव न पड़े। गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। रोजगार दिया जाये।

2. **श्री योगश कुमार गुप्ता, ग्राम घुटकू :–** पहले उस गांव का विकास हो जहां उद्योग लग रहा है। गांव के बच्चो का हित, जल स्वास्थ्य की व्यवस्था, पानी का संरक्षण किया जाये। यदि गांव का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, उद्योग से लोगो का हित जुड़ा होना चाहिए। गांव की मूलभूत सुविधायें जल, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, गांव में दूषित जल की समस्या ना हों, बेरोजगारों की समस्या का निराकरण होना चाहिए। ग्रामीण जनता को सभी प्रकार की सुविधाए मिलनी चाहिए। तत्काल अमल होना चाहिए। ये अच्छी पहल है और आगे भी गांव के हित में उद्योग लगना चाहिए। गांव हित में बडे–बडे कार्य होना चाहिए।

3. **श्री कृष्ण कुमार चौहान, ग्राम–घुटकू :–** मैं पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकशन लिमिटेड, का समर्थन करता हूं। हमारे गांव के विकास में इनका योगदान रहेगा। इनके आने से लोगों को सुविधा होगी। प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग बनवाने की दया करें।

4. **श्री रामचंद्र लोनिया, ग्राम–घुटकू :–** ये कोल वॉशरी हमारी गांव की जमीन में है। गांव के किसानो लडको को फायदा मिलना चाहिए। गांव के किसानों की भूमि पूर्व में प्रबंधन द्वारा क्रय किया है, उन किसानों के परिवार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये। गरीब परिवार जो जमीन बेचा है उसे प्राथमिकता दी जाये। हमारे गांव मे पुलिस चौकी नहीं है, एक पुलिस चौकी गांव में खुलवाये, आये दिन अत्याचार हो रहा है उस पर अंकुश लग सकें।

5. **श्री हीरालाल लोनिया, ग्राम–घुटकू :–** प्रस्तावित कोल वाशरी द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य करें। पेड़–पौधे लगाना होगा। जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मै समर्थन करता हूॅ। किसानो की जमीन को खरीद कर कोल वॉशरी खोलना चाहते हैं तो गांव के पढे लिखे बेरोजगार लोगों तथा किसान जिनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है। उनकी भी रोजी–रोटी पर ध्यान दिया जाये। समस्या हल किया जाये। रोजगार की व्यवस्था करें, पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखा जाये गामीणों से मिल जुल कर ही समस्याओं का निराकरण करें।

6. **श्री सीताराम खाण्डे, ग्राम–घुटकू :–** गांव को गोद लेकर उसका ध्यान रखा जाये। प्रभावित गांव के विकास कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिये।

7. **श्री फिरोज अंसारी, बिलासपुर :–** प्रस्तावित कोल वाशरी के आने से गांव में विकास कार्य चालू हो गया है, रोड़ बहुत अच्छा हो गया है, रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, विकास होगा। आने वाले समय में ग्राम अब शहर बन जायेगा। तालाब की सफाई कराई जाये।

8. **श्री व्ही. सुनंदा रैड्डी, पर्यावरणविद् :–** उद्योग का समर्थन करता हूॅ। रोजगार के अवसर के लिए उद्योग आवश्यक है। उद्योग के द्वारा ही लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। औद्योगिक विकास को बनाये रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य किया जाये।

9. **श्री राम प्रकाश धीरज, ग्राम–घूटकू :–** मैं उद्योग के स्थापना के समर्थन में हूॅ। प्रदूषित जल का पुर्न उपयोग किया जाना बताया गया है इस बात पर कायम रहे ऐसा ना हो कि कही गई बातों को उद्योग प्रबंधन नकार दें। लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। हम बाहर जाकर काम किये हैं तो क्या हमारे अनुभव के आधार पर प्लांट हमे रोजगार दे सकता हैं। स्वास्थ्य सुविधा के लिए अभी से व्यवस्था करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पहल करें, मैं इस उद्योग के पक्ष में हूॅ। बेरोजगार युवा के फेवर में बात हो।

10. **श्री गोविंद भोई, ग्राम–घुटकू :–** मै सरकार को धन्यवाद देता हूॅ, जिसने इस क्षेत्र में उद्योग की सौगात दी है यह गांव उपेक्षित न रहे। पारस कोल को धन्यवाद है।

11. **श्रीमती उर्मिला बाई, ग्राम–घुटकू :–** जीवन यापन हेतु साधन सुविधा उपलब्ध करायें। विधवा पेंशन से पूरे परिवार का पालन पोशण नहीं होता है, इस ग्राम में बहुत समस्या है। यहां शौचालय नहीं है। हम लोग गरीब है। गांव में रोजी–रोजगार नहीं हैं। गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

12. **श्री भुनेश्वर कौशिक, ग्राम–घुटकू नवापारा :–** हमारी समस्या यह है कि घुटकू से नवापारा तक के लोगों को धान ब्रिकी में समस्या होती है। धान उपार्जन केन्द्र पोड़ी हो जाये तो अच्छा है।

13. **श्रीमती कीर्तिन बाई, ग्राम–घुटकू, :–** हमारे गांव में आवास और शौचालय नहीं है। प्रबंधन से मांग करती हूॅ कि हमारे इन समस्याओं पर ध्यान दे।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 12:45 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री सत्येन्द्र कुमार जैन, महाप्रबंधक मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड के द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 01:05 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 98 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 13 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 300 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 96 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर,